राजस्व लोक अदालत केम्प आकडली तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा न0 36 / 2018 2018/01138

अपीलांण्टगण बनाम रेस्पोडेन्ट

1 नाथूदान पुत्र सोमदान जाति चारण निवासी आकडली

1. ग्राम पंचायत आकडली बक्सीराम
2. जसकंवर पत्नि सोमदान
3. भवंरदान पुत्र कालूदान
4. जालमदान पुत्र कालूदान
5. इन्द्रकंवर पत्नि कालूदान
6. शम्भुदान 7. उमरदान, पुत्र हरूदान 8. अगरकंवर पत्नि हरूदान 9. प्रभूदान 10. कानदान पुत्र भैरूदान 11. साकूकंवर पत्नि भैरूदान 12. चण्डीदान पुत्र उदयदान 13. गणपतदान पुत्र उदयदान 14. सन्तोषकंवर पत्नि उदयदान 15. इन्द्रदान पुत्र धोकलदान
16. खेतदान पुत्र अचलदान
17. भूमिधारक जरिये तहसीलदार पचपदरा

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व

आदेश

दिनांकः–31.05.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत आकडली में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आकडली धनसिंह में खेत खसरा न0 154, 155 156, 255, 272 जमाबंदी सवंत् 2071–74 में नाथूदान पुत्र सोमदान सहखातेदारी भूमि में आया हुआ है। अपीलाण्ट के पिता सोमदान पुत्र पीरदान के फौतगी नामान्तरकरण संख्या 181 व 182 भरते समय भवंरदान पुत्र सोमदान दर्ज कर दिया है जो अशुद्व नाम है। जबकि अपीलाण्ट का सही एव वास्तविक नाम दस्तावेजों के अनुसार नाथूदान पुत्र सोमदान है। उक्त अपील पत्र के संबंध मे पटवारी आकडली / आरआई साजियाली / उप तहसीलदार जसोल की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की गई उक्त रिपोर्ट

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प............

Scanned by CamScanner

अनुसार अपीलाण्ट का नाम नाथूदान पुत्र सोमदान सही नाम दर्ज करने की सिफारिश की है। रेसपोडेन्ट संख्या –2 जो कि अपीलाण्ट की माता है ने भी अपीलाण्ट का नाम नाथूदान होना स्वीकार किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या –1 ग्राम पंचायत आकडली ने भी अपीलाण्ट का नाम नाथूदान होना स्वीकार किया है।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पटवारी आकडली/आरआई साजियाली/ उप तहसीलदार जसोल व ब्यानकर्ता जसकंवर व सरंपच ग्राम पचांयत आकडली की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रस्तुत दस्तावेज, आधार कार्ड,, पहचान पत्र की रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड मे नाम भवंरदान पुत्र सोमदान है जबकि सही नाम नाथूदान पुत्र सोमदान है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। इसके आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर भवंरदान पुत्र सोमदान के स्थान नाथूदान पुत्र सोमदान दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......31.5.18

Scanned by CamScanner